



## छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक २५५५/०१/परीक्षा/२०१८

रायपुर, दिनांक ०१.०२.२०१८

### “सिविल जज मुख्य परीक्षा-२०१७ के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना”

आयोग के संक्षिप्त सूचना क्रमांक २१६७/०१/परीक्षा/२०१८ दिनांक ०८.०१.२०१८ के अनुसार सिविल जज मुख्य परीक्षा-२०१७ की लिखित परीक्षा दिनांक ११.०२.२०१८ (रविवार) को पूर्वान्ह १०.०० बजे से दोपहर ०१.०० बजे तक तक जिला- बिलासपुर एवं रायपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की जाएगी।

२/ उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, या जो अपने दाएं-बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं (१०+२) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी, सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सहायक लेखक की दो पासपोर्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सह लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ परीक्षा तिथि के ७ दिन पूर्व आयोग कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (परीक्षा) से अनिवार्यतः संपर्क करें।

३/ अभ्यर्थी सिविल जज मुख्य परीक्षा-२०१७ में केल्व्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन और पेजर लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

४/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सचिव  
छ.ग. लोक सेवा आयोग  
रायपुर